

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (विविध)-34/2022 9460 /न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-28/8/25

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, टेकारी को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वजीरगंज का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(राजीव रंजन तिवारी)


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (विविध)-34/2022 9460 /न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-28/8/25

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया जी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, टेकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वजीरगंज/ उप नगर आयुक्त, नगर निगम, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28/8/25

सरकार के अवर सचिव।